बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

FAX
E-Mail

पत्रांक – प्र04/ख.वि.अधि.–01/13 – 7714 खाद्य, पटना/दिनांक – 06-12-2013

प्रेषक,

अशोक कु0 सिन्हा,
मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– **विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था** के माध्यम से **खरीफ विपणन मौसम 2013–14** अन्तर्गत धान/चावल की अधिप्राप्ति कार्यक्रम के लिए कार्ययोजना एवं दिशा–निर्देश ।

महाशय,

राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2013–14 के लिए **30 लाख मे0 टन धान** की अधिप्राप्ति (न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो सांकेतिक है या उतनी मात्रा जिससे यह सुनिश्चित हो कि बाजार दर न्यूनतम समर्थन मूल्य के समतुल्य या उससे अधिक रहे। अतः आवश्यक है कि इस वर्ष भी अधिप्राप्ति के लिए विशेष व्यवस्था की जाय ताकि यह सुनिश्चित हो कि क्रय किसानों से हो, व्यापारियों या बिचौलियों से नहीं। **इस वर्ष धान की अधिप्राप्ति विशेष व्यवस्था के तहत् विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है जिसके अन्तर्गत अधिप्राप्ति किये गये धान का सी0एम0आर0 नोडल एजेन्सी बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा तैयार किया जायेगा तथा उक्त सी0एम0आर0 (चावल) का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत किया जायेगा।** राज्य सरकार ने पूर्व वर्ष की भाँति इस वर्ष भी अधिप्राप्ति के अभियान को निर्वाचन कार्य सदृश प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है । खरीफ विपणन मौसम 2013–14 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य धान **साधारण–1310/–** रू0 एवं धान **ग्रेड "ए"–1345/–** रू0 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है । **धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम (यथा अधिसूचित ज्ञापांक 7144 दिनांक 15.11.13) 15.04.14 तक तथा सी0एम0आर0 का कार्यक्रम दिनांक 31.10.14 तक प्रभावी रहेगा ।**

2. अधिप्राप्ति कार्यक्रम की मुख्य विशेषतायें

- खरीफ विपणन मौसम 2013–14 अन्तर्गत धान की अधिप्राप्ति विशेष व्यवस्था के तहत् अब विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा ।
- अधिप्राप्ति किये गये धान का सी0एम0आर0 नोडल एजेन्सी बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा तैयार कर तथा उसकी गुणवत्ता की जांच कर उक्त सी0एम0आर0 का उपयोग भारत सरकार से 'प्राप्त आवंटन के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत किया जायेगा।
- अधिप्राप्ति कार्य हेतु राज्य खाद्य निगम को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है ।
- किसानों से धान क्रय की कार्रवाई मुख्यतः पैक्स के माध्यम से किया जाना है ।
- वैसे पंचायत जहां के पैक्स किसी कारणवश अधिप्राप्ति हेतु सक्षम नहीं हैं वहाँ के किसानों से सीधे राज्य खाद्य निगम अपने क्रय केन्द्र के माध्यम से धान क्रय करेगा । इस प्रयोजनार्थ राज्य खाद्य निगम प्रत्येक प्रखंड में आवश्यकतानुसार दो क्रय केन्द्र स्थापित करेगा ।

- किसानों को पूरे राज्य में एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से अनिवार्य रूप से क्रय के तुरंत बाद भुगतान किया जायेगा । इस चेक से बैंक में तुरत भुगतान प्राप्त होगा ।
- पूरे राज्य में क्रय किये गये धान की मिलिंग की व्यवस्था बिहार राज्य खाद्य निगम के माध्यम से की जायेगी । पैक्स किसानों से खरीदे गए धान को राज्य खाद्य निगम को प्राप्त करायेगा ।

राज्य सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अक्षरशः अनुपालन हेतु प्रत्येक जिले में निम्नांकित व्यवस्था अनिवार्य रूप से **अविलंब** कर ली जाय ।

3. लक्ष्य का निर्धारण

इस वर्ष राज्य में धान अधिप्राप्ति का **लक्ष्य 30.00 लाख मे0 टन** रखने का निर्णय लिया गया है, जिसमें विभिन्न एजेन्सियों का लक्ष्य निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है :–

		(मे0 टन में)
बिहार राज्य खाद्य निगम	–	6.0 लाख
पैक्स	–	24.0 लाख
कुल	–	**30.0 लाख**

सम्यक् विचारोपरान्त खरीफ विपणन मौसम 2013–14 अन्तर्गत जिलावार निर्धारित न्यूनतम लक्ष्य इस पत्र के साथ संलग्न है । आपसे यह भी अपेक्षा है कि इस लक्ष्य को आप अपने स्तर से प्रखंडवार, पंचायतवार निर्धारित करें जिससे कि अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यकतानुसार पैक्स एवं बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा पर्याप्त तैयारी की जा सके । उल्लेखनीय है कि धान अधिप्राप्ति का यह लक्ष्य न्यूनतम है एवं किसी जिला या अभिकरण द्वारा इस लक्ष्य से अधिक भी अधिप्राप्ति की जा सकती है ।

4. क्रय केन्द्रों का निर्धारण

खरीफ विपणन मौसम 2013–14 अन्तर्गत किसानों से धान का क्रय मुख्य रूप से पैक्सों द्वारा किया जायेगा तथा जिन पंचायतों में धान का क्रय पैक्सों द्वारा नहीं किया जायेगा वहां बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा प्रखंड में स्थापित क्रय केन्द्र के माध्यम से किया जायेगा । मूल रूप से क्रय केन्द्र स्थपित करने की जिम्मेवारी पैक्स एवं बिहार राज्य खाद्य निगम की है । आप यह सुनिश्चित करें कि आपके जिले में सभी क्रय केन्द्रों में निम्नांकित तैयारियां पूरी कर ली गई है :–

- क्रय केन्द्र हेतु प्रतिदिन अनुमानित अधिप्राप्ति के आकलन के अनुरूप भंडारण की व्यवस्था ।
- माप–तौल यंत्र की व्यवस्था ।
- Moisture Meter की व्यवस्था ।
- पर्याप्त रोशनी/विद्युत की व्यवस्था ।
- माप दंड के अनुरूप दक्ष एवं योग्य कर्मियों की व्यवस्था ।
- पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था ।
- केन्द्र के आस–पास पर्याप्त खुले स्थान का होना ।
- विहित प्रक्रिया के अनुरूप पंजियों का संधारण ।
- किसानों को अविलंब भुगतान हेतु चेक बुक के साथ चेक निर्गत करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का पदस्थापन ।
- प्रत्येक दिन किसानों से प्राप्त किये गये धान को निर्धारित बेस गोदाम/मिल पर पहुंचाने हेतु परिवहन व्यवस्था

- प्रतिदिन किये गये अधिप्राप्ति कार्यों की निर्धारित प्रपत्र में संक्षिप्त विवरणी MS- Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रखंड कम्प्यूटर केन्द्र में भेजने की व्यवस्था ।
- पैक्स द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों में किसानों की सूची का संधारण ।
- पैक्स द्वारा अभियान चलाकर मात्र अधिप्राप्ति हेतु अस्थायी सदस्यों का नामांकन ।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके जिले में उपरोक्त तैयारियों के साथ निर्धारित धान अधिप्राप्ति क्रय केन्द्र पूर्ण रूप से अविलंब कार्यरत हो जाय ।

5. भंडारण की व्यवस्था

बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा प्रत्येक बाजार समिति प्रांगण में गोदाम/कैप भंडारण की व्यवस्था की जा रही है । पूर्व में दिये गये निदेश के अनुसार जिले में अवस्थित बाजार समिति प्रांगण में उपलब्ध गोदाम, औद्योगिक क्षेत्र के प्रांगण क्षेत्र में अवस्थित गोदाम, टाऊन हॉल, खाली पड़े बिहार राज्य वित्त निगम एवं अन्य संस्थाओं के गोदाम/कोल्ड स्टोरेज तथा बड़े–बड़े निजी गोदामों का सर्वेक्षण कराकर इसे भंडारण हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । अगर राज्य खाद्य निगम को निर्धारित दर पर निजी गोदाम उपलब्ध नहीं होता है तो उन गोदामों का किराया सम्बन्धित अनुमंडल पदाधिकारी–सह–गृह नियंत्रण पदाधिकारी, के माध्यम से निर्धारित कराकर राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध करायी जाय । तदनुसार राज्य खाद्य निगम द्वारा निजी गोदामों के किराये का भुगतान किया जाय ।

- निर्धरित माप दंड के अनुरूप डनेज मटेरियल की उपलब्धता
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप तारपोलिन/तिरपाल की उपलब्धता
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप नाइलन की रस्सी
- घेरा बन्दी अगर पूर्व से उपलब्ध न हो
- कैंप कार्यालय
- लाईटिंग की व्यवस्था
- अग्नि शामक यंत्र
- सुरक्षा व्यवस्था
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप योग्य कर्मियों की उपलब्धता
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप पंजियों का संधारण
- प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र में MS- Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रतिवेदन तैयार कराकर प्रखंड/अनुमंडल कर्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था ।
- बेस गोदाम से मिलिंग हेतु सम्बद्ध मिल एवं राज्य से बाहर भेजने हेतु परिवहन की व्यवस्था ।
- खाद्यान्न की भंडारण क्षमता को ध्यान में रखकर खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण हेतु समुचित भंडारण क्षमता के गोदाम के निर्माण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है तथा निकट भविष्य में कई नये निर्मित गोदाम उपलब्ध होने की प्रबल संभावना है। वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा कैप स्टोरेज हेतु निर्धारित मानक एवं प्रक्रिया का अनुपालन अपेक्षित है, जो बिहार राज्य खाद्य निगम के पत्रांक 1269 दिनांक 06.02.13 के माध्यम से संसूचित किया गया है।

6. मिलिंग की व्यवस्था

जिले में/जिले से बाहर उपलब्ध राईस मिल (राज्य के पड़ोसी जिलों सहित) से सभी पैक्स/क्रय केन्द्रों को टैग कर लिया जाय । कृपया यह पुनः सुनिश्चित कर लिया जाय कि यह कार्य पूर्ण कर लिया गया हो । इसके अलावा मिलिंग से सम्बन्धित निम्न कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाय :–

- राज्य खाद्य निगम द्वारा मिलरों से एकरारनामा करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाय कि सम्बन्धित मिलर को सुपूर्द किए जाने वाली धान की मात्रा/मिलिंग क्षमता के अनुपात में ही Bank Guarantee ली जाय ताकि भविष्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी/गबन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई/वसूली में किसी प्रकार की कठिनाई न हो ।
- एकरारनामित मिलों के चयन के पूर्व संबंधित जिला प्रबंधक एवं जिला में पदस्थापित एवं अधिप्राप्ति कार्य के लिए मनोनीत वरीय उप समाहर्त्ता द्वारा संयुक्त रूप से मिलों के भौतिक सत्यापन के क्रम में मिल के मालिक का नाम एवं पता तथा उद्योग विभाग द्वारा मिल के मालिक के नाम में निर्गत अनुज्ञप्ति की अद्यतन स्थिति, अधिष्ठापित उपस्कर के आलोक में दैनिक/मासिक मिलिंग की क्षमता, मिल के सम्प्रति कार्यरत रहने सम्बन्धित प्रमाण पत्र की जांच एवं मिल परिसर में छतदार भंडारण की क्षमता का व्यवहारिक आकलन कर ली जाय। इस क्रम में विगत वर्षो के अनुभव के आधार पर शत प्रतिशत सी0एम0आर0 हस्तगत नही कराने वाले मिल/मिलरों से एकरारनामा नही किया जाय।
- उपर्युक्त प्रक्रिया के उपरान्त मानक के अनुसार Short Listed किये गये मिल के मालिकों के साथ जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाय जिसमें सरकार/निगम की अधिप्राप्ति के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मिलरों की भूमिका एवं मिलरों से अपेक्षाओं पर विचार विमर्श हो सके तथा गत वर्षो में उत्पन्न समस्याओं के निराकरण हेतु समाधान पर भी विचार हो सके। उक्त बैठक के उपरान्त ही Short Listed मिल के मालिकों से एकरारनामा किया जाय।
- राज्य खाद्य निगम द्वारा मिलरों से एकरारनामा करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाय कि संबंधित मिलर द्वारा समर्पित Bank /Property Guarantee के अनुरूप/अनुपात तथा संबंधित मिल की मिलिंग क्षमता के आलोक में धान की मात्रा विहित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध करायी जाय ताकि भविष्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी/गबन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई/वसूली में कोई कठिनाई न हो।
- प्रत्येक पैक्स को प्रतिदिन यह सूचना उपलब्ध होनी चाहिए कि क्रय किया गया धान किस मात्रा में सम्बद्ध मिल पर राज्य खाद्य निगम के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के माध्यम से मिल को मुहैया कराना है एवं कितनी मात्रा में राज्य खाद्य निगम द्वारा चिन्हित केन्द्रों पर सूपूर्द करना है ।
- सभी सम्बद्ध पैक्स संचालक को उनके सम्बद्ध मिल पर प्रतिनियुक्त राज्य खाद्य निगम पदाधिकारी का मोबाइल नं0 अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवा दिया जाय ।
- प्रत्येक मिल पर सुचारू रूप से मिलिंग कार्य हेतु यह अनिवार्य है कि जिला एवं राज्य खाद्य निगम के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी मिलिंग के समय उपलब्ध हों एवं यह सुनिश्चित करें कि मिलिंग क्षमता का अधिकतम उपयोग हो रहा हो एवं क्षमता/भंडारण से अधिक धान अनावश्यक रूप से वहां नहीं पहुंचाया जाय ।
- मिल पर प्रतिनियुक्त जिला के पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि तैयार सी0एम0आर0 को भारत सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुरूप पूर्व से चिन्हित बिहार राज्य खाद्य निगम के सी0एम0आर0 गोदाम में भेजे ।
- मिल से बिहार राज्य खाद्य निगम के सी0एम0आर0 गोदाम में सी0एम0आर0 पहुंचाने हेतु पर्याप्त मात्रा में परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ।

- मिल पर जिला एवं राज्य खाद्य निगम से प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के लिए कैम्प ऑफिस की व्यवस्था की जाय ।
- कैम्प आफिस में संधारित होनेवाले पंजियों की व्यवस्था एवं प्रत्येक दिन का प्रतिवेदन कम्प्यूटर के MS- Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रखंड/अनुमंडल कम्प्यूटर केन्द्र में भेजने की व्यवस्था ।
- विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था के सम्बन्ध में विस्तृत प्रक्रिया बिहार राज्य खाद्य निगम के पत्रांक 9955 दिनांक 04.11.13 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को पूर्व में ही भेजी जा चुकी है । दिनांक 02.12.13 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित विडियो कॉन्फ्रेन्स में भी इसकी विस्तृत समीक्षा की गई है जिसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. धान क्रय केन्द्र पर किसानों से प्राप्त किये जानेवाले कागजात

- भूमि सम्बन्धी दस्तावेज – अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र/हाल का मालगुजारी रसीद/ किसान क्रेडिट कार्ड – इनमें से कोई एक ।
- किसानो का फोटोयुक्त पहचान पत्र – मतदाता पहचान पत्र/पासबुक की छायाप्रति /किसान क्रेडिट कार्ड की छायाप्रति /ड्राईविंग लाईसेंस एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज – इनमें से कोई एक ।
- बटाईदारों के लिए जमीन मालिक का उपर्युक्त भूमि सम्बन्धी दस्तावेज एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र ।
- **खरीफ विपणन मौसम 2013–14 अन्तर्गत साफ सुथरे एवं सुखे हुए धान जिसकी नमी की मात्रा 17 प्रतिशत से अधिक न हो, की अधिप्राप्ति की जाय ।**

8. पैक्सों से धान प्राप्त करने हेतु रोस्टर की व्यवस्था

बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा पैक्सों से धान लेने के लिए पैक्सों का रोस्टर तैयार कर लिया जाय ताकि पैक्सों को यह जानकारी रहे कि किस तिथि को उन्हें राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र पर धान पहुंचाना है । इस व्यवस्था को इस प्रकार लागू किया जाय कि राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों पर अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं लगे एवं पैक्स सुगमतापूर्वक बिना कठिनाई के राज्य खाद्य निगम के गोदामों पर धान की सुपूर्दगी कर सके ।

9. भुगतान की व्यवस्था

कृपया यह सुनिश्चित करें कि सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप सभी किसानों को क्रय किये गये धान का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा अविलंब कर दिया जाय । इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित कार्रवाई की जाय :–

- राज्य खाद्य निगम के प्रत्येक क्रय केन्द्र पर चेक बुक एवं चेक निर्गत करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का उपलब्ध होना ।
- राज्य खाद्य निगम द्वारा इस सम्बन्ध में जिले या प्रखंड स्तर पर अधिप्राप्ति कार्य हेतु बैंक एकाउन्ट खोलना एवं प्रत्येक क्रय केन्द्र पर चेक निर्गत करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का उपलब्ध होना
- प्रत्येक बैंक एकाउन्ट में निर्धारित माप दंड के अनुरूप पर्याप्त राशि उपलब्ध होना
- राज्य खाद्य निगम द्वारा प्रत्येक जिला में कॉ–ऑपरेटिव बैंक में खाता खोलवाना जिससे कि पैक्सों द्वारा क्रय किये गये धान का भुगतान एकमुश्त एडवाइस भेज कर किया जा सके ।

- पैक्स द्वारा क्रय किये गये धान का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किसानों को क्रय के तुरत बाद किया जाना ।
- पैक्सों से क्रय किये गये धान का मूल्य पैक्स से प्राप्त विपत्रों की जाँच कर केन्द्रीय सहकारिता बैंक/बिहार राज्य सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये चेक पर Your Self अंकित करते हुए बैंक एडभाईस जिसमें पैक्सों का नाम, आपूर्ति किये गये धान की मात्रा एवं मूल्य अंकित हो, के साथ दो दिनों के अंदर सहकारिता बैंक को भेजना तथा बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा भुगतान सुनिश्चित करना ।

10. जिला स्तर पर प्रबंधन /अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था

जिला स्तर पर प्रबंधन/अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु निम्नांकित कार्रवाई की जाय :–

- जिला स्तर पर धान/चावल अधिप्राप्ति कार्य का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी की पूर्णकालिक प्रतिनियुक्ति की जाय ।
- अनुमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे प्रतिदिन अपने अनुमंडल अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति की पूर्ण समीक्षा कर प्रतिवेदन MS- Excel, Kruti Dev 010 में जिला पदाधिकारी को भेजेंगे ।
- प्रत्येक प्रखंड में अधिप्राप्ति कार्य के नियमित अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु जिला से एक वरीय उप समाहर्त्ता की प्रतिनियुक्ति की जाय ।
- प्रखंड में प्रतिनियुक्त वरीय उप समाहर्त्ता/जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त सक्षम पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार Enforcement Certificate देने हेतु प्राधिकृत किया जाय ।

11. अधिप्राप्ति कार्य में जिला पदाधिकारी की भूमिका

- जिलान्तर्गत अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी की होगी ।
- क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर वास्तविक किसानो से क्रय को सुनिश्चित करना ।
- जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक आयेजित कर जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम एवं अन्य सम्बन्धित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ।
- पैक्स एवं बिहार राज्य खाद्य निगम के केन्द्रों से प्रतिदिन क्रय से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्राप्त करना एवं मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सहकारिता विभाग को प्रतिवेदन भेजना।
- बिहार राज्य खाद्य निगम को क्रय केन्द्र की स्थापना, भंडारण एवं परिवहन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना ।
- सहकारिता विभाग के सभी पदाधिकारी बिहार राज्य खाद्य निगम के सहायक प्रबंधकों एवं कुछ मुख्य पैक्सों के साथ मासिक बैठक कर अधिप्राप्ति कार्य की समीक्षा करना ।
- राज्य मुख्यालय से सम्पर्क बनाये रखना ।

12. अधिप्राप्ति कार्य में आरक्षी अधीक्षक की भूमिका

- क्रय केन्द्रों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना ।

13. अधिप्राप्ति कार्य में बिहार राज्य खाद्य निगम की भूमिका

- पैक्स से धान प्राप्त करने हेतु प्रखंड स्तर पर आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त संख्या में क्रय केन्द्र खोलना ।
- जहाँ पैक्स कार्यरत नहीं हैं उन स्थानों पर किसानों से सीधे धान क्रय करने हेतु अधिप्राप्ति केन्द्र खोलना ।
- पैक्सों से प्राप्त धान एवं अपने केन्द्रों पर क्रय किये गये धान की मिलिंग हेतु सम्बद्ध मिलों पर पहुंचाने की व्यवस्था ।
- भंडारण हेतु पर्याप्त व्यवस्था करना ।
- प्रतिदिन क्रय केन्द्रों पर क्रय किये गये धान एवं मिलों में मिलिंग कराये गये चावल से सम्बन्धित प्रतिवेदन विभाग, मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त को भेजना ।
- पैक्सों को भुगतान हेतु आवश्यक व्यवस्था एवं लेखा का संधारण ।
- पैक्सों द्वारा धान अधिप्राप्ति के क्रम में यदि गनी बैग की मांग की जाती है तो राज्य खाद्य निगम के प्रखंड क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा Phasewise आवश्यकतानुसार गनी बैग उपलब्ध करा दिया जाय ।
- आवश्यकतानुसार राज्य के बाहर के मिलों से मिलिंग हेतु व्यवस्था करना ।
- अधिप्राप्ति कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रशिक्षण देना ।
- अधिप्राप्ति किये गये धान को चावल मिल में पहुँचाने एवं मिल से सी0एम0आर0 प्राप्त कर बिहार राज्य खाद्य निगम के सी0एम0आर0 गोदाम तक परिवहन कराने हेतु राज्य खाद्य निगम की परिवहन व्यवस्था को दुरूस्त रखना। अधिप्राप्ति किये गये धान अथवा सी0एम0आर0 का परिवहन राज्य खाद्य निगम के परिवहन अभिकर्त्ता के स्वीकृत दर पर करने में कठिनाई हो तो वैसी स्थिति में अधिप्राप्ति धान/ सी0एम0आर0 का परिवहन दर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला परिवहन समिति में निर्धारण कर परिवहन का कार्य कराया जाना । साथ ही जिला परिवहन समिति द्वारा निर्धारित दर अनुमोदन हेतु राज्य खाद्य निगम मुख्यालय में भेजना ताकि उक्त अनुशंसा के आलोक में धान अधिप्राप्ति हेतु जिलावार परिवहन दर का भुगतान बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा किया जा सके ।
- किसानों के द्वारा अथवा पैक्सों के द्वारा बिहार राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र पर अधिप्राप्ति हेतु लाये गये धान का अनलोडिंग एवं वहां से अपने बेस गोदाम अथवा मिलिंग हेतु धान मिल तक पहुँचाने तथा मिल से सी0एम0आर0 बिहार राज्य खाद्य निगम के सी0एम0आर0 गोदाम तक पहुँचाने की जिम्मेवारी बिहार राज्य खाद्य निगम की होगी । इसके लिए बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा पर्याप्त संख्या में मजदूरों की व्यवस्था करना एवं स्वीकृत दर पर भुगतान सुनिश्चत करना ।
- पैक्सों द्वारा किसानो से धान क्रय करने के पश्चात् उसे राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों पर धान सुपूर्द करने हेतु राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र पर Enforcement Officer की प्रतिनियुक्ति करना । राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे Enforcement Officer से Enforcement Certificate प्राप्त कर लें । पैक्स द्वारा किसानों से खरीदे गये धान से सम्बन्धित कागजात ही राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र प्रभारी को उपलब्ध कराना । किसी भी परिस्थिति में पैक्सों अथवा किसानों को Enforcement Certificate देने के लिए बाध्य नही करना ।

14. अधिप्राप्ति कार्य में सहकारिता विभाग की भूमिका

- अधिप्राप्ति कार्य हेतु सक्षम पैक्सों का चयन करना ।
- लगभग 80 प्रतिशत धान की अधिप्राप्ति पैक्स के माध्यम से की जाती है। ऐसी परिस्थिति में पैक्स क्रय केन्द्र पर धान के क्रय के पूर्व निर्धारित मानक के अनुरूप धान

की गुणवत्ता की जांच, प्रत्येक कार्य दिवस को क्रय के पश्चात् किसानों को चेक के माध्यम से भुगतान की गई राशि, पैक्स क्रय केन्द्र पर अधिप्राप्ति किये गये धान का प्रारंभिक भंडार, प्राप्ति एवं अधिशेष भंडार तथा रोस्टर के अनुसार सम्बद्ध राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र पर धान के स्थानान्तरण की सतत् निगरानी, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों यथा प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक इत्यादि को अधिप्राप्ति कार्य हेतु दायित्व निर्धारित करना एवं इनके द्वारा निरीक्षण हेतु माप दंड निर्धारित करना ।

- पैक्सों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना ।
- अधिप्राप्ति कार्य, धान के क्रय–विक्रय का प्रतिदिन प्रतिवेदन प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध कराना ।
- पैक्स को कॉ–ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से निधि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना ।
- निदेशालय स्तर से जिलों में चल रहे अधिप्राप्ति कार्य के पर्यवेक्षण हेतु पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करना ।
- पैक्स अध्यक्षों/प्रबंधकों का अधिप्राप्ति, बैंक संचालन आदि बिन्दुओं पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करना ।
- वैसे जिले जहाँ सहकारी बैंक नहीं हैं वहां बिहार राज्य सहकारी बैंक द्वारा पूर्व की भाँति वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाय ।
- बिस्कोमान के पास उपलब्ध संरचना यथा गोदाम कार्मिक आदि को अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को अविलंब उपलब्ध कराना ।

15. अधिप्राप्ति कार्य में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की भूमिका

- विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि बिहार राज्य खाद्य निगम अधिप्राप्ति कार्य से सम्बन्धित सभी कार्रवाई कुशलता एवं पारदर्शी ढंग से करे ।
- नोडल विभाग की हैसियत से अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न विभिन्न अभिकरणों तथा विभागों के बीच समन्वय का कार्य करना ।
- प्रतिदिन सहकारिता विभाग, बिहार राज्य खाद्य निगम एवं भारतीय खाद्य निगम से अधिप्राप्ति से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्राप्त कर संकलित प्रतिवेदन मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त को भेजना ।
- बिहार राज्य खाद्य निगम को अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यक निधि उपलब्ध कराना ।

16. जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव की भूमिका

- प्रत्येक सप्ताह अपने सम्बद्ध जिले का भ्रमण कर अधिप्राप्ति कार्य की गहन समीक्षा करना एवं जिलों के प्रभारी मंत्री, मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त तथा विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करना ।

17. प्रमंडलीय आयुक्त की भूमिका

- प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक जिला का भ्रमण कर किसानों से बातचीत करना, अधिप्राप्ति की गहन समीक्षा करना तथा प्रतिवेदन समर्पित करना ।

18. जिला पदाधिकारियों की विशेष शक्तियाँ

- अधिप्राप्ति कार्य के लिए जिला पदाधिकारी किसी भी विभाग के पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रतिनियुक्त कर सकेंगे ।

19. अवकाश पर प्रतिबंध

- अधिप्राप्ति की अवधि में इस कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा । अत्यन्त आवश्यक होने पर एक स्तर उपर से पूर्वानुमति प्राप्त कर अवकाश स्वीकृत किया जा सकेंगा ।

चूँकि सरकार का यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हैं एवं राज्य सरकार धान/चावल अधिप्राप्ति कार्यक्रम को सघन अभियान के रूप में संचालित करने तथा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने हेतु संकल्पित हैं । अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय एवं ऐसी व्यवस्था की जाय कि राज्य के सभी किसानों को बिना किसी कठिनाई के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ क्रय के तुरत बाद मिल सके एवं उन्हें अपनी उपज की आलात बिक्री (Distress sale) की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े । इस सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही एवं शिथिलता को अति गंभीरता से लिया जायेगा ।

विश्वासभाजन,

मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक – प्र04/ख.वि.अधि.–01/13 – 7714 खाद्य, पटना/दिनांक – 06-12-2013

प्रतिलिपि – सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक – प्र04/ख.वि.अधि.–01/13 – 7714 खाद्य, पटना/दिनांक – 06-12-2013

प्रतिलिपि – प्रशासक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना/निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक – प्र04/ख.वि.अधि.–01/13 – 7714 खाद्य, पटना/दिनांक – 06-12-2013

प्रतिलिपि – सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य सचिव, बिहार

खरीफ विपणन मौसम 2013-14 के अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति हेतु जिलावार लक्ष्य

(ऑकड़ा मे0टन में)

क्र0सं0	जिला का नाम	चावल के रूप में अनुमानित उत्पादन	धान के रूप में अनुमानित उत्पादन	अनुमानित जिलावार लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	पटना	325000	487500	105000	
2	नालंदा	350000	525000	150000	
3	भोजपुर	325000	487500	111000	
4	बक्सर	265000	397500	87000	
5	रोहतास	590000	885000	210000	
6	कैमूर	360000	540000	150000	
7	गया	415000	622500	107000	
8	जहानाबाद	170000	255000	60000	
9	अरवल	155000	232500	25000	
10	नवादा	225000	337500	85000	
11	औरंगाबाद	460000	690000	151000	
12	सारण	225000	337500	75000	
13	सिवान	255000	382500	86000	
14	गोपालगंज	230000	345000	76000	
15	मुजफ्फरपुर	380000	570000	132000	
16	पू0चम्पारण	460000	690000	155000	
17	प0चम्पारण	470000	705000	160000	
18	सीतामढ़ी	265000	397500	88000	
19	शिवहर	70000	105000	23000	
20	वैशाली	150000	225000	30000	
21	दरभंगा	225000	337500	75000	
22	मधुबनी	360000	540000	122000	
23	समस्तीपुर	195000	292500	67000	
24	बेगूसराय	30000	45000	20000	
25	मुंगेर	80000	120000	26000	
26	शेखपुरा	65000	97500	22000	
27	लखीसराय	80000	120000	26000	
28	जमुई	150000	225000	41000	
29	खगड़िया	45000	67500	55000	
30	भागलपुर	140000	210000	45000	
31	बांका	255000	382500	86000	
32	सहरसा	145000	217500	41000	
33	सुपौल	205000	307500	66000	
34	मधेपुरा	145000	217500	35000	
35	पूर्णियॉ	245000	367500	65000	
36	किशनगंज	190000	285000	35000	
37	अररिया	220000	330000	45000	
38	कटिहार	180000	270000	62000	
	कुल :-	9100000	13650000	**3000000**	

नोट :- धान के रूप में अनुमानित उत्पादन के आधार पर जिला का न्यूनतम लक्ष्य दिया गया है, जो सांकेतिक है।